कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 317/2026 **प्रेस विज्ञप्ति** दिनांक- 14.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक–14.08.2026
थाना–बिलरियागंज, जनपद–आजमगढ़

➡️ *अपराध से अर्जित अवैध अचल सम्पत्ति करीब ₹1 करोड़ 92 लाख की 538.55 वर्ग मीटर भूमि कुर्क*

➡️ *अंतरजनपदीय टप्पेबाज एवं चोरी करने वाले गैंग के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई*

➡️ *गैंग के सदस्य प्रयागराज महाकुम्भ, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी एवं अयोध्या राम मंदिर सहित भीड़भाड़ वाले स्थानों पर टप्पेबाजी व चोरी की घटनाओं को देते थे अंजाम*

➡️ *अपराध से अर्जित धन से खरीदी गई ग्राम नदौरा तकरकारी एवं गड़ेरी पट्टी स्थित भूमि कुर्क*

➡️ डुगडुगी पिटवाकर नियमानुसार सम्पत्ति को प्रशासनिक कब्जे में लिया गया

घटना का पूर्व इतिहास-

थाना जीयनपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-507/2025 धारा 2(ख)(1)/3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट की विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि गैंगलीडर, गैंगस्टर एवं कुख्यात अपराधी *राज उर्फ सवारिया पुत्र सुरेश राम निवासी गड़ेरी पट्टी, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़* द्वारा अपने गैंग के सक्रिय सदस्यों *समर उर्फ अरूण, सुरेश राम, पूनम, लक्ष्मी, रीना, संतरा देवी, संतोष वर्मा उर्फ तोसू वर्मा, अंजली उर्फ लक्ष्मी एवं राधा* के साथ मिलकर एक संगठित आपराधिक गिरोह संचालित किया जा रहा है।

उक्त गैंग के सदस्यों द्वारा आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए प्रयागराज महाकुम्भ, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, अयोध्या राम मंदिर सहित अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों, मेलों एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों पर श्रद्धालुओं एवं आमजन के सोने-चांदी के आभूषण एवं रुपये की टप्पेबाजी तथा चोरी जैसी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। विवेचना के दौरान यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि अभियुक्त राज उर्फ सवारिया एवं उसके गैंग द्वारा आपराधिक गतिविधियों से अर्जित अवैध धन का उपयोग भूमि खरीदने एवं अपने अवैध साम्राज्य का विस्तार करने में किया गया। *अभियुक्त द्वारा ग्राम* नदौरा तकरकारी, परगना एवं तहसील सगड़ी में ले0सं0-5818/22 के अंतर्गत गाटा संख्या-88/0.068 हे0 में 0.02267 हे0 अर्थात *226.70 वर्ग मीटर* भूमि तथा ग्राम *गड़ेरी पट्टी* में ले0सं0-5562/2024 के अंतर्गत गाटा संख्या-167/0.156 हे0 में 77 कड़ी अर्थात 311.85 वर्ग *मीटर* भूमि, कुल *538.55 वर्ग मीटर* भूमि अपराध से अर्जित अवैध धन से क्रय की गई थी।

राजस्व विभाग द्वारा उक्त भूमि का चिन्हांकन एवं मूल्यांकन कराए जाने पर उसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग ₹1,92,00,000/- (एक करोड़ बानबे लाख रुपये) पाई गई।

विवेचना में यह भी तथ्य सामने आया कि अभियुक्त द्वारा अपराध से अर्जित धन के बल पर आसपास की भूमि खरीदकर एवं कब्जे में लेकर लगातार अपने अवैध साम्राज्य का विस्तार किया जा रहा था। उक्त सम्पत्ति के क्रय एवं ऋण की किश्तों के भुगतान के संबंध में अभियुक्त की ओर से कोई वैध एवं पर्याप्त आय का स्रोत उपलब्ध नहीं पाया गया।

विवेचक/थानाध्यक्ष बिलरियागंज *अमित कुमार मिश्रा* द्वारा की गई प्रभावी एवं तथ्यपरक विवेचना तथा प्रभावी पैरवी के आधार पर यह तथ्य स्थापित हुआ कि उक्त भूमि का क्रय अपराध से अर्जित अवैध धन से किया गया था।
उक्त तथ्यों के आधार पर *जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़* द्वारा गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत उक्त अचल सम्पत्ति को कुर्क किए जाने का आदेश पारित किया गया तथा तहसीलदार को उक्त सम्पत्ति का प्रशासक नियुक्त किया गया।

कृत कार्यवाही-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ *डॉ0 अनिल कुमार* के निर्देशन में संगठित अपराध, गैंगस्टरों, भूमाफियाओं एवं अपराध से अर्जित अवैध सम्पत्तियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण *श्री चिराग जैन* के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के निर्देशन में थाना बिलरियागंज पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई की गई।

दिनांक *14.08.2026* को जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ द्वारा पारित कुर्की आदेश का अनुपालन करते हुए डुगडुगी पिटवाकर नियमानुसार *ग्राम नदौरा तकरकारी एवं ग्राम गड़ेरी पट्टी, परगना एवं तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़* में स्थित कुल *538.55 वर्ग मीटर भूमि*, जिसकी अनुमानित कीमत करीब *₹1 करोड़ 92 लाख* है, को प्रशासनिक कब्जे में लेकर कुर्की की कार्रवाई पूर्ण की गई।
कुर्की की कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग के अधिकारी/कर्मचारी एवं थाना जीयनपुर तथा थाना बिलरियागंज की पुलिस टीम मौके पर मौजूद रही। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा तथा नियमानुसार कुर्की की कार्रवाई संपादित की गई।

आपराधिक इतिहास-

1. राज उर्फ सवारिया एवं गैंग से संबंधित अभियोग:

1. मु0अ0सं0-71/2025 धारा 317(2)/317(4)/317(5) बीएनएस, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0-508/2024 धारा 305/317(2)/317(4)/317(5)/331(3) बीएनएस, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0-209/2024 धारा 457/380/411 भादवि, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0-241/2025 धारा 457/380/411 भादवि, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़।
5. मु0अ0सं0-95/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना सुशांत गोल्फ सिटी, लखनऊ।
6. मु0अ0सं0-507/2025 धारा 2(ख)(1)/3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

कुर्की की कार्रवाई में शामिल राजस्व एवं पुलिस टीम-

राजस्व विभाग: श्री आदर्श सिंह, नायब तहसीलदार सगड़ी; श्री सरजू प्रसाद शर्मा, राजस्व निरीक्षक सगड़ी; श्री अमरजीत यादव, हल्का लेखपाल, तहसील सगड़ी जनपद आजमगढ़।

थाना जीयनपुर पुलिस टीम -

प्रभारी निरीक्षक *संजय कुमार सिंह* , उ0नि0 हरिश कुमार शुक्ला, उ0नि0 राणा प्रताप राय, का0 अभय प्रताप सिंह, का0 विशाल पाण्डेय, रि0म0आ0 नेहा मिश्रा, हे0का0 चालक शम्भूनाथ, का0 रितेश तिवारी, का0 दिनेश कुमार, का0 बुटाई शाह एवं का0 अजय कुमार प्रथम थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

थाना बिलरियागंज पुलिस टीम :-

थानाध्यक्ष *अमित कुमार मिश्रा*, उ0नि0 रतन सिंह पटेल, का0 राहुल सिंह, का0 हृदेश गुप्ता, का0 कृपाशंकर, का0 प्रेमचन्द कन्नौजिया, म0का0 कोमल एवं म0आ0 आंचल चौरसिया बिलरियागंज।

जनपद आजमगढ़ पुलिस का संदेश-

जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा संगठित अपराध, गैंगस्टरों, भूमाफियाओं एवं अपराध से अर्जित अवैध सम्पत्तियों के विरुद्ध लगातार कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। अपराध से अर्जित सम्पत्तियों को कुर्क कर अपराधियों की आर्थिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाना पुलिस की प्राथमिकताओं में शामिल है। संगठित अपराध के विरुद्ध *"जीरो टॉलरेंस"* की नीति के तहत ऐसी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

आदेश
न्यायालय श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट, जनपद आजमगढ़ के द्वारा वाद संख्या 3086/2026 कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या- D202615060003086 बनाम संतरा देवी पत्नी सुरेश राम निवासी गडेरीपट्टी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ के द्वारा अपराध से अर्जित अवैध धन से ग्राम नदौरा तकरकारी परगना व तहसील सगड़ी आजमगढ़ में क्रय किये गये अचल सम्पत्ति गाटा संख्या 88/0.068हे0 में से 0.02267हे0 यानी 226.7 वर्गमीटर भूमि को अन्तर्गत धारा 14 (1) गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 06 अगस्त 2026 के अनुपालन में कुर्क किया जाता है।
आज्ञा से
जिला मजिस्ट्रेट
जनपद आजमगढ़।

आदेश
न्यायालय श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट, जनपद आजमगढ़ के द्वारा वाद संख्या 3086/2026 कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या- D202615060003086 बनाम संतरा देवी पत्नी सुरेश राम निवासी गडेरीपट्टी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ के द्वारा अपराध से अर्जित अवैध धन से ग्राम गडेरीपट्टी परगना व तहसील सगड़ी आजमगढ़ में क्रय किये गये अचल सम्पत्ति गाटा संख्या 167/0.156हे0 में से 77 कडी यानी 311.85 वर्गमीटर भूमि को अन्तर्गत धारा 14(1) गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 06 अगस्त 2026 के अनुपालन में कुर्क किया जाता है।
आज्ञा से
जिला मजिस्ट्रेट
जनपद आजमगढ़।